संख्या-10/2019/4013/सैंतीस-2-2018-1(35)/2014टीसी।

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनॉक-31 जनवरी, 2019

विषयः- **नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.-20 के अन्तर्गत स्वीकृत 45 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-414/सा0-1/एक्स-120(188)/आर.आई.डी.एफ.-20/2014-15, दिनांक-26.11.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या-73/2016/945/सैंतीस-2-2016-1(35)/2014, दिनांक-25.05.2016 द्वारा आर.आई.डी.एफ.-20 में अनुमोदित 45 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रू0-33.21 लाख प्रति पशुचिकित्सालय की दर से कुल रू0-1494.45 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। एक अनावासीय पशुचिकित्सालय की पुनरीक्षित मानकीकृत लागत रू0-40.28 लाख पर नाबार्ड द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपरोक्त शासनादेश दिनांक-25.05.2016 द्वारा आर.आई.डी.एफ.-20 में स्वीकृत निम्नलिखित 45 पशुचिकित्सालयों के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु अन्तर की धनराशि अर्थात् रू0-7.07 लाख प्रति पशुचिकित्सालय की दर से कुल रू0-318.15 लाख (रूपये तीन करोड़ अठ्ठारह लाख पन्द्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

क्र0	पशुचिकित्सालय का नाम	जनपद	पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष स्वीकृत अन्तर की धनराशि (लाख में)
1	फूंदपुरी	सहारनपुर	7.07
2	बागैरैन	बदायूं	7.07
3	मिलक	रामपुर	7.07
4	दुधौरा	जौनपुर	7.07
5	दोभी	जौनपुर	7.07
6	रामपुर	जौनपुर	7.07
7	बड़ाईपार	जौनपुर	7.07
8	महेवा	इटावा	7.07
9	समथर	इटावा	7.07
10	हनुमंतपुरा	इटावा	7.07
11	राताहरी	इटावा	7.07
12	सदर	कन्नौज	7.07
13	पचोखारा	फिरोजाबाद	7.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	इटौली	फिरोजाबाद	7.07
15	नगलाबीच	फिरोजाबाद	7.07
16	भीमपुरा	बलिया	7.07
17	हनुमानगंज	बलिया	7.07
18	सदर	बलिया	7.07
19	बांसडीह	बलिया	7.07
20	हंसवा	फतेहपुर	7.07
21	गोपालगंज	फतेहपुर	7.07
22	असोथर	फतेहपुर	7.07
23	विजयीपुर	फतेहपुर	7.07
24	चांदपुर	फतेहपुर	7.07
25	लालगढ़ी	एटा	7.07
26	सदर	मऊ	7.07
27	सदर	हरदोई	7.07
28	सण्डीला	हरदोई	7.07
29	कछौना	हरदोई	7.07
30	मल्लावां	हरदोई	7.07
31	सकतपुर	हरदोई	7.07
32	सुंदरबल	लखीमपुर खीरी	7.07
33	फरधान	लखीमपुर खीरी	7.07
34	इटिया	सीतापुर	7.07
35	कबरई	महोबा	7.07
36	जैतपुर	महोबा	7.07
37	सराय अकील	कौशाम्बी	7.07
38	कुंडा	प्रतापगढ़	7.07
39	सदर	प्रतापगढ़	7.07
40	बाबागंज	प्रतापगढ़	7.07
41	भिनगा	श्रावस्ती	7.07
42	सिरसिया	श्रावस्ती	7.07
43	सथियांव	आजमगढ़	7.07
44	मार्टिनगंज	आजमगढ़	7.07
45	मेहनगर	आजमगढ़	7.07
योग-			**318.15**

(रूपये तीन करोड़ अठ्ठारह लाख पन्द्रह हजार मात्र)

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
2. पुनरीक्षित लागत हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित चिकित्सालय हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना के दिशा-निर्देशों व निर्माण संबंधी कार्यों हेतु समय-समय पर संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समय में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक तथा निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा पुनरीक्षित आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा।
7. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
8. पुनरीक्षित आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
9. कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग की शर्तों एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आर.आई.डी.एफ.-20 के अन्तर्गत स्वीकृत 45 पशुचिकित्सालयों हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक-22.05.2016 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-08-पशु चिकित्सालयों का निर्माण-आर.आई.डी.एफ. (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-1-यू.ओ.-76/दस-2019, दिनांक-28.01.2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-10/2018/4013(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लि0, गोमतीनगर, लखनऊ।
4- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in